

कार्यालय जिला कलक्टर भरतपुर

अपील / RTI / 61 / 2023

शंकर दयाल शर्मा पुत्र स्व० श्री सत्यप्रकाश शर्मा जाति ब्राम्हण निवासी शुभम कॉलोनी, नीयर बस स्टैण्ड रूदावल, तहसील रूपवास जिला भरतपुर

..अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रूपवास

..रेस्पोंडेंट

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 04.10.2023

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्त रघुसिंह पुत्र श्री लक्ष्मन जाति ठाकुर निवासी रूदावल तहसील रूपवास जिला भरतपुर की अपील लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रूपवास के विरुद्ध इस आशय की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय के पत्रांक 707 दिनांक 18.09.2023 से लोक सूचना अधिकारी से सूचना उपलब्ध कराने/नहीं कराने की रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रूपवास से कोई भी जबाब प्राप्त नहीं हुआ है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थना पत्र एवं अपील का अवलोकन किया, अपीलान्त ने अपनी अपील में अंकित किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। सूचना उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया है। इस बाबत तहसीलदार रूपवास से कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं होना, अपीलार्थी के कथनों की पुष्टी करता है। अस्तु अपील स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रूपवास को निर्देशित किया जाता है कि वे

जिला कलक्टर
भरतपुर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के तहत बाध्यकारी प्रावधानों को मध्येनजर रखते हुये अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनायें अन्दर 15 दिवस में उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को प्रेषित हो, निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रूपवास को प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

Low

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
भरतपुर